हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

29.5.18

अभिभाषकगण उप0। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा अप्रा0नं.3 के संबंध रिकार्ड पेश किया। राजकीय अभि. अंतिम बहस सुनी गयी। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 31.5.18 को पेश हो।

31-5-18

अभिभाषकगण उपस्थित। अन्तिम बहस सुनी गयी। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.01.2010 द्वारा बूटा सिंह, गुरबचन सिंह,बख्तावर सिंह व जगजीत सिंह द्वारा कालू पुत्र शोभा नाई से जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 03.01.75 से खरीद की गयी चक 2 एसएलडब्ल्यु की 11.00 बीघा भूमि का बेचान अनु0जाति / जन जाति के व्यक्ति द्वारा स्वर्ण को लोगों को किया गया है जिसकीबाबत 175 आरटीए के वाद में रकबा राज होकर वर्ष 2006 में कब्जा लिया जा चुका है ऐसी अवस्था में धारा 13 ए कोलो0 एक्ट के तहत नियमन नहीं किया जा सकता। चक 2 एसएलडब्लयु हाल चक 3 बीआरडब्ल्यु के प0नं0 231 / 313 कि0नं0 14 ता 17,24,25 प0नं0 232 / 314 कि0नं0 11,12, 19 ता21 कुल 11.00 बीघा राज्यहित में घोषित की गयी। इस निर्णय की अपील मा0 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में दायर हुई जिसका निर्णय दिनांक 20.9.2011 को हुआ। इस निर्णय के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.01.10 अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ इस न्ययालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि वह अपने निर्णय में यह स्पष्ट उल्लेख करते हुए कि किस जाति के व्यक्ति द्वारा बेचान करने पर धारा 42 की अवहेलना की गयी है एवं उसकी जाति अनु0जाति / जनजाति की सूची में शामिल है या नहीं के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुनकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षों को सुना गया व उनसे साक्ष्य ली गयी।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि इस

जिला कलक्टर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	न्यायालय का पूर्व निर्णय दिनांक 18.01.2010 विधि अनुसार है इसलिए अप्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीयान ने अपनी बहस में तर्क किया कि अप्रार्थीयान द्वारा प्रश्नगत आराजी कालू पुत्र शोभा जाति नाई सा0 बेरवाला कलां तह0 टिब्बी से जरिये पंजीबद्ध बैयनामा से दिनांक 03.1.75 को खरीद की गयी है। बेचान कर्ता कालू की जाति नाई थी जो अनु0जाति/जन जाति में न आकर अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है। इस संबंध में राज्य पक्ष द्वारा धारा 175 आरटीए का दावा न्यायालय उपखण्डाधिकारी संगरिया में क्रमांक 488/06 पर दर्ज हुआ। उक्त न्यायालय में राज्य पक्ष की ओर से नायब तहसीलदार टिब्बी द्वारा दावा चलाना नहीं चाहने के कारण दिनांक 23.11.95 को खारिज किया जा चुका है। बहस में यह भी तर्क किया कि प्रश्नगत आराजी के बेचान को नियमन करवाने हेतु देय राशि जरिये चालान नं0688 दिनांक 29.12.92 को जमा करवाये जा चुके हैं । इसलिए अप्रार्थीयान द्वारा खरीद किये गये रकबे को धारा 13 ए उपनिवेशन अधिनियम के तहत नियमन किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी बूटासिंह पुत्र मुखत्यार सिंह द्वारा चक 2 एसएलडब्ल्यु के प0नं0 232/314 कि0नं0 14,15,16, अप्रार्थी गुरबचन सिह पुत्र भोला सिंह द्वारा प0नं0 232/314 कि0नं0 11,12 अप्रार्थी बख्तावर सिंह पुत्र पंजाब सिंह द्वारा प0नं0 232/314 कि0नं0 19 ता 21 व अप्रार्थी जगजीत सिह पुत्र साधू सिंह द्वारा प0नं0 231/314 कि0नं0 17.24.25 कुल 11 बीघा भूमि कालू राम पुत्र शोभा राम जाति नाई सा. बेरवाला कलां से खरीद की गयी है।

हस्तगत प्रकरण में राज्य पक्ष द्वारा दायर किया गया दावा अर्न्तगत धारा 175 आरटीए दिनांक 23.11.95 को विड्रा किये जाने के कारण खारिज हो चुका है। इसलिए धारा 175 आरटीए का प्रकरण स्वतः ही समाप्त हो चुका है। इस प्रकरण में मुख्यतः यह देखा जाना है कि विक्रेता कालूराम की जाति अनु0 जाति/ जन जाति की श्रेणी में

कालूराम (विक्रेता) की जाति नाई है जो अनु0 जाति /जन जाति की श्रेणी में नहीं आती है बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति से जरिये पंजीबद्ध बैयनामा से खरीद की गयी है। इस भूमि के नियमन के लिए धारा 13 ए उपनिवेशन अधिनियम के तहत नियमन राशि जरिये चालान नं. 688 दिनांक 29.12.92 से राशि 3300/– जमा हो चुके हैं।

अतः अप्रार्थी बूटा सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख सा. बेरवाला कलां द्वारा चक 2 एसएलडब्ल्यु हाल चक 3 बीआर डब्ल्यु प0नं0 231/314 कि0नं0 14,15,16 कुल 3.00 बीघा व गुरबचन सिह पुत्र भोला सिंह जाति जटसिख सा.बेरवालाकलां द्वारा चक 2 एसएलडब्ल्यु हाल चक 3 बीआर डब्ल्यु प0नं0 231/314 कि0नं0 11,12 कुल 2.00 बीघा, व बखतावर सिंह पुत्र पंजाब सिंह जाति जटसिख सा. बेरवालाकलां द्वारा चक 2 एसएलडब्ल्यु हाल चक 3 बीआरडब्ल्यु प0नं0 232/314 कि0नं0 19 से 21 कुल 3.00 बीघा व जगजीत सिह पुत्र साधू सिंह जाति जटसिख सा. बेरवाला कलां द्वारा चक 2 एसएलडब्ल्युय हाल चक 3 बीआरडब्ल्यु प0नं0 231/314 कि0नं0 17,24,25 कुल 3.00 बीघा जो कालूराम पुत्र शोभा राम जाति नाई सा. बेरवाला कलां से दिनांक 03.01.1975 जरिये पंजीबद्ध बैयनामा खरीद की गयी है के बेचान को नियमन (विधिमान्य) घोषित किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टिब्बी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़